पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अगस्त, 2020 ई0 (श्रावण 24, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–28

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	475–519	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	353–357	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	223–239	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

नियोजन अनुभाग–2

उत्तराखण्ड लोक निजी सहभागिता (पीपीपी) संशोधित नीति–2019

04 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 95/XXVI/दो(15)/2011–

विषय–सूची

1. प्रस्तावना एवं नीति के उद्देश्य–

2. लोक निजी सहभागिता की प्रक्रिया–

3. मूल सिद्धांत–

4. परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया–

5. अनुश्रवण, मूल्यांकन और निर्धारण तंत्र–

6. जोखिम निर्धारण तंत्र–

7. राज्य द्वारा सहयोग–

8. हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण–

9. नीति की अवधि और समीक्षा–

संख्या 95/XXVI/दो(15)/2011—

1. प्रस्तावना एवं नीति के उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 पर्वतीय क्षेत्र को विकसित करने के मुख्य उद्देश्य से दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई।

वैश्वीकरण के इस युग में, सरकारों के लिये देश के सभी भागों में निवेश की पहुंच बढ़ा कर न केवल प्रतिस्पर्धी लाभ निर्मित करने बल्कि राष्ट्र/राज्य का समग्र व सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक संरचना में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024—25 तक राष्ट्र की आर्थिकी को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार तक पहुचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अवधारित किया गया है कि इस निवेश का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र से आना होगा। इसलिये निजी क्षेत्र को अवस्थापना विकास के साथ—साथ वर्तमान अवस्थापना में सेवा प्रदायगी के सुधार को प्रोत्साहित करने तथा सक्रिय रूप से प्रवृत्त करने की आवश्यकता है।

1.1.2 लोक निजी सहभागिता (पीपीपी), निजी क्षेत्र को लोक अवस्थापना विकास के लिये निवेश में प्रवृत्त करने हेतु, सर्वश्रेष्ठ साधनों में से एक है जिसके निम्नलिखित प्रयोजन हो सकते है :

क. सरकारी प्रयासों की सम्पूर्ति
ख. सरकार के उपलब्ध संसाधनों की अनुपूर्ति
ग. परियोजनाओं के निष्पादन और सेवा प्रदायगी में संचालनात्मक कुशलता और दक्षता लाना,
घ. सेवा प्रदायगी और मानक सेवा स्तरों में ग्राहकोन्मुखी दृष्टिकोण पैदा करना और
ङ. अंततः इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना।

1.1.3 राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं0 538/XXVI/2(15)/2011 द्वारा वर्ष 2012 में "लोक निजी सहभागिता नीति" लागू की गयी थी। वर्तमान परिदृश्य में आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों/गाईडलाइन तथा बाजार में विकसित नये प्रचलनों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रख्यापित नीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गयी है, जिस कम में परियोजनाओं में संस्थागत, ढांचागत विकास की आवश्यकता तथा संरचनात्मक प्रणाली को अद्यतन किया जाना नई नीति में प्रस्तावित है। इस लोक निजी सहभागिता नीति में सर्वप्रथम लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सुस्पष्ट सहायता की घोषणा और उनके विनियमन तथा राजकोषीय अनुशासन सुदृढ़ीकरण में नियामक की स्थिति पर भी विचार किया गया है।

लोक निजी सहभागिता का पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार लोक निजी सहभागिता परीक्षण हेतु, परियोजना लागत के सम्बन्ध में एक निश्चित आकार से अधिक की सभी अवस्थापना परियोजनाओं पर लागू किए जाने हेतु दिशानिर्देश जारी करेगी। यदि लोक निजी सहभागिता परीक्षण से संकेत मिलता है कि परियोजना लोक निजी सहभागिता के माध्यम से सरकार और समस्त हितधारकों के लिए लाभदायक होगी, तब इसको लोक निजी सहभागिता परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। लोक निजी सहभागिता परीक्षण में लोक निजी सहभागिता के माध्यम से सरकारी धन के अलाभकारी मूल्य द्वारा लोक निजी सहभागिता की असंभावना का संकेत मिलने की स्थिति में ही इस पर पूर्ण सरकारी वित्तपोषण के अधीन विचार किया जाएगा।

1.2. लोक निजी सहभागिता की परिभाषा

1.2.1 पीपीपी, बुनियादी ढांचे के विकास या सेवा प्रदायगी के लिये सार्वजनिक संस्था और निजी भागीदार के मध्य एक व्यवस्था है। पारम्परिक निर्माण सम्बन्धित अनुबन्धों के अधीन निजी क्षेत्र केवल डिजाईन और निर्माण जोखिम को वहन करता है, जबकि पीपीपी के अधीन, सार्वजनिक इकाई और निजी भागीदार के बीच जोखिम सांझाकरण तंत्र के आधार पर वित्त पोषण, मॉग और संचालन से सम्बन्धित अन्य जोखिमों को वहन करने की सम्भावनायें होती है।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पीपीपी की परिभाषा को केवल आधार भूत संरचना/सम्बन्धित सेवाओं के प्राविधानों तक सीमित नहीं किया है, बल्कि इस क्षेत्र की परिधि और प्रयोज्यता में विस्तार किया है। यह पीपीपी को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

यह निजी लोक निजी सहभागिता को "एक पक्ष के रूप में सरकार अथवा सांविधिक संस्था अथवा सरकारी स्वामित्वाधीन संस्था और दूसरे पक्ष के रूप में निजी क्षेत्र की संस्था के बीच, एक सुनिश्चित समयावधि के लिए निजी क्षेत्र सत्ता द्वारा किए जाने वाले निवेश तथा/अथवा प्रबंधन के माध्यम से, लोक लाभ के लिए लोक अवस्थापना संपत्तियों तथा/अथवा सम्बन्धित सेवाओं के प्रावधान हेतु एक अनुबन्ध आधारित व्यवस्था, जहां निजी क्षेत्र के साथ भारी जोखिम हिस्सेदारी है तथा निजी क्षेत्र निष्पादन से सम्बद्ध भुगतान प्राप्त करता है, जो सुनिश्चित, पूर्व-निर्धारित और मापनीय निष्पादन मानकों के समनुरूप (,अथवा निदेशचिन्हित) है" के रूप में परिभाषित किया गया है।

1.2.2. सरकारी इकाई का तात्पर्य:

क. सरकारी विभाग एवं निदेशालय।
ख. सरकारी प्रायोजित बोर्ड, समितियां तथा अन्य स्वायत्त निकाय।
ग. सरकारी प्रायोजित शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन संस्थान।
घ. शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतें।
ङ. सरकारी स्वामित्वाधीन कम्पनियां।

निजी क्षेत्र की संस्था का तात्पर्य, ऐसी संस्था है जिसका 51 प्रतिशत अथवा अधिक अंशदानकृत और प्रदत्त इक्विटी एक निजी संस्था द्वारा स्वाधिकृत तथा/अथवा नियंत्रित है, जिसमें निजी रूप से स्वाधिकृत/प्रायोजित समितियां, अलाभकारी संगठन भी शामिल होंगे।

1.3 लोक निजी सहभागिता की आवश्यक शर्तें:-

आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लोक निजी सहभागिता की परिभाषा के अनुसार पीपीपी को परिभाषित करने वाली आवश्यक शर्तें निम्न प्रकार है:-

निजी क्षेत्र की इकाई के साथ व्यवस्था	निजी भागीदार द्वारा उपयोगकर्ताओं को संविदात्मक व्यवस्था के तहत सम्पत्ति और/या सेवा प्रदान की जायेगी। यह व्यवस्था निजी क्षेत्र को सार्वजनिक सम्पत्ति प्रदान करने और सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। जोखिमों और प्रतिफल के बंटवारे के लिये एक तंत्र तैयार करती है। ऐसी इकाई, जिसके पास गैर-सरकारी स्वामित्व हो, अर्थात् 51 प्रतिशत या उससे अधिक गैर सरकारी स्वामित्व हो, को एक निजी क्षेत्र की इकाई के रूप में माना जा सकता है।
सार्वजनिक लाभ के लिये सार्वजनिक सम्पत्ति या सेवा का प्रावधान	पीपीपी में उन्ही सुविधाओं/सेवाओं को निजी भागीदार को हस्तान्तरित किया जाता है जो आमतौर पर सरकार द्वारा लोगों को एक संप्रभु कार्य के रूप में प्रदान की जाती है। इसे और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है:- "सार्वजनिक सेवायें" वह सेवायें हैं जिन्हें राज्य अपने नागरिको को प्रदान करने के लिये बाध्य है या जहां परम्परागत रूप से राज्य अपने नागरिकों को सेवायें प्रदान करता आ रहा है। "सार्वजनिक सम्पत्ति" वह सम्पत्ति, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवा के वितरण के लिये स्थाई रूप से जुड़ा हुआ है, या वे सम्पत्ति जो सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिये संप्रभु सम्पत्ति का उपयोग अथवा एकीकृत करती है।

निजी भागीदार द्वारा किये गये और या प्रबन्धन द्वारा किये जा रहे निवेश	निजी भागीदार द्वारा वित्तीय निवेश पीपीपी के लिये एक आवश्यक शर्त नहीं हो सकती है। जहां एक निजी निवेश के बिना केवल निजी क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग सेवाओं की बेहतर प्रदायगी के लिये किया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था को पी0पी0पी0 के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
समयावधि	यह व्यवस्था निर्दिष्ट समयावधि के लिये होनी चाहिये। पीपीपी की कोई भी व्यवस्था हमेशा के लिये नहीं हो सकती है। यह भागीदारों के मध्य ऐसी व्यवस्था है, जो निर्दिष्ट समयावधि के अन्त में स्वतः समाप्त हो जाती है, जब तक की अनुबन्ध की शर्त के अनुसार पारस्परिक रूप से विस्तारित न हो।
जोखिम साझा करना	जोखिमों को साझा करना पीपीपी की प्रमुख विशेषता है। पी0पी0पी0 तंत्र वह तंत्र है जहां जोखिमों को या तो निजी भागीदार या सार्वजनिक संस्था, जो जोखिम के प्रबन्धन और उसे कम करने के लिये सबसे उपयुक्त हो, को आवंटन किया जाता है। प्रत्येक पीपीपी व्यवस्था में एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिये भागीदारों (सार्वजनिक इकाई और पीपीपी व्यवस्था में प्रवेश करने वाले निजी भागीदार के बीच उल्लिखित हो) के मध्य जोखिमों का आवंटन निर्धारित समयावधि के लिये होगा।
प्रदर्शन आधारित भुगतान	पीपीपी व्यवस्था के अन्तर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भुगतान पर विचार किये जाने की व्यवस्था है। इन भुगतानों की मात्रा मुख्य रूप से किसी परिसम्पत्ति/सुविधाओं के प्रावधान पर निर्भर न होकर, सेवा वितरण और प्रदर्शन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
प्रदर्शन मानकों की पुष्टि	सार्वजनिक कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट पूर्व निर्धारित मानकों के साथ–साथ मापने योग्य मानकों के अनुपालन एवं निजी भागीदार की सेवा प्रदायगी पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

सार्वजनिक संस्था और निजी भागीदार के बीच में, केवल उन व्यवस्थाओं को, जो कि उपरोक्त सभी आवश्यक शर्तो को सन्तुष्ट करते हो, को पीपीपी कहा जायेगा। प्रशासकीय विभाग प्रोजेक्ट को तैयार करते समय यह निर्णय करेगा कि प्रोजेक्ट उपरोक्त शर्तों के अनुरूप है तथा उसे पी0पी0पी0 में रखा जा सकता है।

1.4 प्रयोज्यता

1.4.1 यह नीति सरकार अथवा सरकारी संस्था, जैसा कि नीति के अंतर्गत पैरा–1.2.2 में परिभाषित है, द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए गए क्षेत्रों में लोक निजी सहभागिता के माध्यम से कार्यान्वित सामाजिक क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्रों तथा सेवा उद्योगों समेत समस्त अवस्थापना परियोजनाओं पर लागू होगी। यह नीति 1.2.2 में परिभाषित राज्य सरकार की समस्त संस्थाओं पर लागू होगी।

1.5 नीति के उद्देश्य

1.5.1 इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :–

1. निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना, ताकि :
   - क. वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु निजी क्षेत्र से अतिरिक्त पूंजी निवेश प्राप्त किया जा सके तथा सरकारी निधियों को वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य, किंतु सामाजिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण परियोजनाओं हेतु बेहतर आवंटन के लिए मुक्त रखा जा सके।
   - ख. निजी क्षेत्र की अभिनवता, लचीलापन, कारगर लागत, वैकल्पिक प्रबंधन और कार्यान्वयन कौशल सबंधी दक्षताओं का उपयोग किया जा सके।

ग. उपभोक्ता और सर्वसाधारण को बेहतर गुणवत्ता की मूल्य वर्द्धित सेवाएं प्रदान और सुनिश्चित की जा सकें।

घ. अवसरों की बेहतर पहचान और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।

ड़. अपेक्षाकृत अल्पावधि में लोक अवस्थापना को सुचारू रूप से विकसित किया जा सके।

2. आर्थिक विकास तथा लोक अवस्थापना और सार्वजनिक सेवाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन देकर प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू निवेश का संवर्धन करना।
3. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अव्यवस्थित निष्पादन के नकारात्मक प्रभाव को सीमित करना।
4. समस्त प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सृजित करने तथा समस्त हितधारकों के हित संरक्षण के लिये एक पारदर्शी, सुसंगत और दक्ष प्रशासनिक तंत्र स्थापित करना।
5. स्वामित्व वाले विभागों की सहायता से लोक निजी सहभागिता के लिए प्रस्तावित की जाने वाली परियोजनाओं की शेल्फ तैयार करना और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से अग्रसारित करना।
6. परियोजना संरचना में जोखिम की भागीदारी करने हेतु आवश्यक ढांचा उपलब्ध कराना ताकि जोखिम ऐसे पक्ष को निर्दिष्ट किया जा सके, जो उनके प्रबंधन हेतु सर्वाधिक उपयोगी हो।
7. लोक निजी सहभागिता के लिए सही परियोजनाओं के चयन द्वारा जनता को सतत लाभ सुनिश्चित कराने के लिए सभी परियोजनाओं में धन के सबसे अच्छे मूल्य का आकलन करने हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित करना।
8. परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए एक प्रभावी एवं कुशल संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
9. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए एक सुगठित शिकायत निवारण तंत्र/नियामक ढांचा तैयार करना।

1.6 प्राथमिकता क्षेत्र

1.6.1 इस नीति द्वारा आच्छादित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जो समय–समय पर संशोधित किए जा सकते हैं, निम्नवत होंगे :

क्र. सं.	क्षेत्र	उप–क्षेत्र
1.	शहरी	1. शहरी परिवहन प्रणालियां/सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का सुधार, आधुनिक बस–स्टैंडों के निर्माण सहित। 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 3. सीवरेज एवं अपवहन 4. जन द्रुत परिवहन प्रणालियां 5. जल उपचार और आपूर्ति 6. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कोई भी घटक
2.	ऊर्जा	1. जल विद्युत शक्ति, संचरण एवं वितरण प्रणालियां 2. अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वितरण
3.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	1. बागबानी एवं पुष्पकृषि 2. जैविक खेती एवं स्वदेशी बीज विकास 3. कृषि उत्पादन और विपणन 4. ग्रामीण अवस्थापना 5. जल उपचार और आपूर्ति

4.	परिवहन	1. विमानपत्तन, हवाईपट्टियां और हेलीपोर्ट 2. सड़क, पुल और बाईपास, बस अड्डे, रज्जू मार्ग 3. रेलवे एवं संबंधित परियोजनाएं 4. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और संभार केंद्र
5.	पर्यटन	1. पर्यटन और संबंधित अवस्थापना, मनोरंजन केन्द्रों सहित 2. गंतव्य विकास 3. पर्यावरणीय–पर्यटन
6.	सामाजिक	1. हेल्थकेयर अवस्थापना और माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवायें 2. शिक्षा अवस्थापना और संबंधित सेवायें
7.	व्यापार एवं उद्योग	1. औद्योगिक पार्क, थीम पार्क जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/जैव–प्रौद्योगिकी (बीटी) पार्क, नॉलेज पार्क, विशेष आर्थिक जोन तथा टाउनशिप 2. व्यापार मेला, सम्मेलन, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक केंद्र

□ अन्य कोई भी क्षेत्र/सुविधा, जो सरकार द्वारा सम्मिलित की जाए।

1.6.2 लोक निजी सहभागिता परियोजना का परीक्षण

सभी अवस्थापना एवं परियोजनायें, जो कि पैरा (1.5.1) में उल्लिखित है, का लोक निजी सहभागिता परीक्षण करना अनिवार्य है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार तथा हितधारक को उसके धन का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

2- लोक निजी सहभागिता की प्रकिया:–

राज्य सरकार अधिक से अधिक परियोजनाओं को पीपी0पी0 मोड में बढ़ावा देना चाहती है और इसलिये नया मजबूत तन्त्र प्रस्तावित है:–

<u>चरण–1</u>

(अ) <u>परियोजना पहचान के चरण:</u>

i. आवश्यकता की अभिव्यक्ति
ii. आवश्यकता विश्लेषण
iii. विकल्पों का विश्लेषण
iv. पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन

<u>चरण–2</u>

(क) <u>परियोजनाओं की पहचान के उपरान्त की गतिविधियॉं :</u>

i. सलाहकारों/परामर्शदाताओं को किराये पर लेना
ii. हितधारकों से परामर्श

(ख) <u>परियोजना की व्यवहार्यता के चरण :</u>

i. तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना
ii. वित्तीय व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना
iii. परियोजनाओं के लागत सम्बन्धी प्रस्ताव
iv. आर्थिक व्यवहार्यता
v. विधिक संरचना का अनुपालन

(ग) परियोजना संरचना के चरण :
- i. जोखिम विश्लेषण
- ii. अनुबन्धात्मक संरचना सकेंतक

(घ) अधिप्राप्ति से पूर्व की गतिविधियाँ:
- i. भूमि अधिग्रहण, यदि आवश्यक हो।
- ii. उपादेयता का स्थानान्तरण, यदि आवश्यक हो।
- iii. परियोजना हेतु अनुमोदनों तथा अनापत्तियों का अध्ययन, जिन्हें लागू करना आवश्यक हो।
- iv. अर्न्तविभागीय समन्वय

(ड) निविदा प्रलेखन चरण:
- i. योग्यता हेतु आवेदन
- ii. प्रस्ताव के लिये आवेदन
- iii. परियोजना की जानकारी के लिये ज्ञापन
- iv. अनुबन्ध पत्र आलेखन

(च) अधिप्राप्ति प्रकिया:
- i. व्यापक प्रतिस्पर्धी रणनीति जैसे–रोड शो
- ii. एक चरण या दो चरण निविदा प्रकिया
- iii. निजी भागीदार का चयन

(छ) अधिनिर्णय के उपरान्त अनुबन्ध प्रबन्धन की स्थिति:
- i. अनुबन्ध प्रबन्ध संरचना
- ii. अनुबन्ध प्रबन्धन टीम का गठन

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार के विभाग तथा एजेन्सियाँ, अधिकतम निजी बाह्य संस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये उद्योग विभाग की वेबसाईट https://investuttarakhand.com में पी0पी0पी0 परियोजनाओं का विवरण अपलोड करेंगी।

3. मूल सिद्धांत

3.1 मूल सिद्धांत

यह नीति निम्नलिखित मूल सिद्धांतों द्वारा दिशा निर्देशित है :

क. वेल्यू फॉर मनी

ख. वर्तमान संपत्तियों का मितव्ययी उपयोग तथा अतिरिक्त संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन

ग. सेवाओं हेतु भुगतान

घ. न्यायसंगत अनुबंध–संरचनाएं

ड़. अधिप्राप्ति की पारदर्शी प्रक्रिया

च. निष्पक्ष नियामक ढांचा

छ. समर्थ संस्थागत ढांचा

ज. पोषणीय प्रोत्साहन और रियायतें

3.2 वेल्यू फॉर मनी का आकलन

उत्तराखंड सरकार सभी विभागों/एजेन्सियों को सभी परियोजनाओं के वेल्यू फॉर मनी सिद्धान्त की भावना एवं प्रकिया के अनुरूप आंतरिक कार्यप्रणाली को आत्मसात करने हेतु प्रोत्साहित करेगी, ताकि लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं हेतु निविदाओं के बेहतर मानदण्ड सृजित हो सकें।

प्रत्येक सेक्टर तथा परियोजना का वेल्यू फॉर मनी निर्धारण हेतु भिन्न अपेक्षाएं होंगी किंतु प्रमुख सिद्धांतों द्वारा संसाधनों का बेहतर उपयोग, जोखिम का बेहतर विभाजन और तद्द्वारा निर्गत सेवाओं के लिए जन साधारण को बेहतर मूल्य का सृजन सुनिश्चित किया जाएगा।

3.3 परिसंपत्तियों का पूर्ण उपयोग तथा संसाधनों का विभाजन

सरकार के पास उपलब्ध संसाधन कोष का सर्वश्रेष्ठ संभव उपयोग करने तथा नई सेवाओं से योजित लाभों हेतु प्रतीक्षाविधियों को न्यूनतम करने के क्रम में, सरकार को सर्वप्रथम वर्तमान परिसंपत्तियों का कुशल उपयोग, सुधार के उपायों और उनके माध्यम से सेवा प्रदायगी के बेहतर प्रबंधन की संभावना सृजित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

इसके फलस्वरूप लोक निजी सहभागिता प्रक्रिया द्वारा नवीनतम संपत्तियों के सृजन के लिये संसाधन आवंटन को उचित प्राथमिकता क्रम दिया जा सकेगा। इसके परिणामस्वरूप बेहतर परियोजनायें तैयार की जा सकेंगी, जो विद्यमान और नई परिसंपत्तियों के एकीकरण द्वारा एकीकृत अवस्थापना विकास का दृष्टिकोण सृजन करेगी।

उत्तराखंड सरकार सामाजिक आवश्यकता और आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहन देगी। तथापि, उत्तराखंड सरकार स्वीकार करती है कि सभी "सामाजिक" परियोजनाएं लोक निजी सहभागिता के लिए पर्याप्त वाणिज्यिक प्रोत्साहन अभ्यर्पित नहीं कर सकती है, ऐसे मामलों में सरकार अन्य प्रतिपूर्ति तंत्रों का उपयोग करेगी, जैसे कि Viability Gap Funding या वार्षिकी अथवा परिवर्धित वार्षिकी भुगतानों का प्रावधान। विकल्पतः, उत्तराखंड सरकार (अथवा सरकारी संस्था) ऐसी परियोजनाओं का स्वयं कार्यान्वियन कर सकती है, और जहां संभव हो, सेवाओं का प्रबंधन अंततः सहभागी निजी क्षेत्र (पीएसपी) को अंतरित कर सकती हैं।

उत्तराखंड सरकार अवस्थापना के विस्तार, प्रोन्नयन तथा/अथवा विकास के लिए निवेशों को युक्तिसंगत बनाने हेतु यथार्थ–मापदंड भी विकसित करेगी। प्रतिनिधिक रूप से, परियोजना की पहचान और प्राथमिकता क्रम निर्धारण निम्न आधारों पर नियंत्रित होगा :

क. अवस्थापना हेतु मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल का आकार;

ख. संतुलित क्षेत्रीय विकास पर फोकस, विशेष रूप से मूल अवस्थापना के प्रावधान के संबंध में;

ग. प्रत्यक्ष/अंतर–क्षेत्रीय सम्पर्कों का विकास, जहां महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

उत्तराखंड सरकार अवस्थापना परियोजनाओं में लोक निजी सहभागिता को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देगी। अतः निवेश योग्य सार्वजनिक निधियों के एक बड़े हिस्से का उपयोग सामाजिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, जो निजी वित्तीय पहल के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता। दीर्घावधि अवस्थापना वित्तपोषण के लिए सरकारी निधियों का स्थायी स्रोत सृजित करने के क्रम में, उत्तराखंड सरकार तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों की विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आंतरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधनों में वृद्धि की जाएगी।

3.4 सेवाओं हेतु भुगतान

3.4.1 उत्तराखंड सरकार स्वीकार करती है कि एक व्यवस्था में जहां सेवाओं का मूल्य आर्थिक रूप से पोषणीय नहीं है, उपभोक्ता संसाधनों के उपयोग में मितव्ययिता हेतु प्रोत्साहित नहीं होंगे तथा सेवाप्रदाता से अधिक दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित नहीं होंगे। उत्तराखंड सरकार का मानना है कि "सेवा प्रदाता–प्रभारण" तथा "उपभोक्ता–भुगतान" के सिद्धांत की मूलधारणा लोक निजी सहभागिता की सफलता का मूलमंत्र है। इस दिशा में उत्तराखंड सरकार, जहां आवश्यक और उपयुक्त है, निम्न उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता शुल्क लागू करने (टोल, शुल्क, टैरिफ, उपकर इत्यादि) पर विचार करेगी :

क. उपभोक्ता को किफायती कीमतों पर बेहतर, टिकाऊ और उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के क्रम में परियोजना संपत्तियों के निर्माण/पुनर्विकास/पुनरुद्धार/प्रतिस्थापन और उनके चालू कार्यों तथा अनुरक्षण के लिए एक स्थायी तथा समर्पित वित्तीय स्रोत का सृजन।

ख. मांग प्रबंधन

ग. लोक निजी सहभागिता प्रोत्साहन

घ. सेवा प्रावधान की लागत शामिल करना

ङ. यह स्वीकार करते हुए कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग प्रयोक्ता प्रभारों में कुछ आर्थिक सहायता की अपेक्षा कर सकते हैं, परियोजना हेतु ऐसी आर्थिक सहायता सुव्यक्त करना ताकि परियोजना का आर्थिक रूप से व्यवहार्य बने रहना सुनिश्चित किया जा सके।

3.4.2 उपभोक्ता प्रभार निम्न किसी एक अथवा अधिक मानदंडों पर आधारित होगा :

क. उपभोक्ताओं की बचत

ख. भुगतान की इच्छा

ग. भुगतान की क्षमता

घ. सुव्यक्त आर्थिक सहायताओं की आवश्यकता

ङ. विभिन्न परियोजनाओं के बीच एकरूपता

च. वर्तमान सेवा स्तर और विचारित सुधार

छ. लागत वसूली

ज. ऋणसेवा और प्रतिभूति प्रतिफल

3.5 अनुबंध की संरचनाएं

3.5.1 उत्तराखंड सरकार परियोजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त अनुबंध की व्यवस्था करेगी। उत्तराखंड सरकार का प्रयास, निजी निवेशकों की वैध चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, अनुबधित पक्षों के मध्य जोखिमों के न्यायसंगत विभाजन के लिए अनुबंध ढांचा तैयार करेगा। ऐसे पक्ष को जोखिम विभाजन का प्रयास किया जाएगा, जो उस जोखिम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

3.5.2 वर्तमान परिसंपत्तियां : अनुबंध/कार्यान्वयन में प्रयुक्त संरचनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होगें :

क. निजी आपरेटर के माध्यम से परिसंपत्तियों का पूर्ण या आंशिक प्रबंधन

i. पूर्व–निर्धारित अवधियों के लिए परिचालन तथा अनुरक्षण अनुबंध

ii. परिसंपत्तियों के लिये पट्टा/अनुज्ञप्ति

iii. पुनरूद्धार, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण अनुबंध

3.5.3 नई परिसंपत्तियां : परियोजना की प्रकृति के अनुसार नई परियोजनाओं हेतु प्रयुक्त अनुबंध–संरचना/अनुबंधों में अन्य के साथ निम्न शामिल होंगे :

क. निर्माण एवं अंतरण (बी एवं टी)

ख. निर्माण–अनुज्ञापन–अंतरण (बीएलटी)

ग. निर्माण–अंतरण–प्रचालन (बीटीओ)

घ. निर्माण–प्रचालन–अंतरण (बीओटी)

ङ. निर्माण–स्वामित्व–प्रचालन–अंतरण (बीओओटी)

च. निर्माण–स्वामित्व–प्रचालन (बीओओ)

छ. निर्माण–प्रचालन–अंश–अंतरण (बीओएसटी)

ज. निर्माण–स्वामित्व–प्रचालन–अंश–अंतरण (बीओओएसटी)

झ. निर्माण–स्वामित्व–अनुज्ञापन–अंतरण (बीओएलटी)

ञ. डिजाइन–निर्माण–वित्तपोषण–प्रचालन–अंतरण (डीबीएफओटी)

ट. पुनरूद्धार–वित्तपोषण–प्रचालन–अंतरण (आरएफओटी)

3.5.4. विशेष प्रयोजन वाहन (एस0पी0वी0)

जहां कहीं उपयुक्त है, उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड सरकार की एजेंसियां अवस्थापना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन हेतु किसी एसपीवी की इक्विटी संरचना में भाग ले सकती है। एसपीवी में भाग लेने हेतु पीएसपी के चयन में उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। एसपीवी की इक्विटी संरचना का निर्णय प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर अलग–अलग किया जाएगा।

3.6. अधिप्राप्ति प्रक्रिया

3.6.1. मूलतः सभी पीपीपी अनुबंध उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अधीन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धी निविदा प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

सभी मामलों में अधिनिर्णय संबंधी मानदंड सुस्पष्ट व्यक्त किए जाएंगे। अधिप्राप्ति प्रक्रिया परियोजना के आधार पर अथवा जटिलता के स्तर पर और प्रतिस्पर्द्धी निविदा को प्रोत्साहित करने के लिए, एकल–चरण अथवा दो–चरणों में पूर्ण की जा सकती है।

एकल निविदा तथा अव्यवहार्य/काल्पनिक निविदाओं के संचालन हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

3.6.2. इस प्रयोजन के लिये उत्तराखंड सरकार आवश्यक तकनीकी योग्यताधारक, भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है। साधारणतः, अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे :

क. परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी

ख. अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई/योग्यताओं हेतु अनुरोध (आरएफक्यू)

ग. आरएफपी तथा डीसीए के अनुमोदन

घ. प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आरएफपी)

(i) तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव

च. निविदाओं का तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन

छ. लोक निजी सहभागिता भागीदार(रों) का चयन

ज. अनुबंध पर हस्ताक्षर

3.6.3. प्रारंभिक चयन मानदंड निम्नलिखित पूर्व–योग्यता प्राचलकों पर आधारित होंगे:

क. निविदादाता की वित्तीय क्षमता–शुद्ध मूल्य, विगत तीन वर्षों में औसत टर्नओवर, संपत्ति आधार इत्यादि।

ख. पूर्णकालिक कुशल कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या

ग. सम्बद्ध गुणवत्ता प्रमाणन (आईएसओ 9000, आईएसओ 14000 इत्यादि)

घ. उस सेक्टर में परियोजनाओं की न्यूनतम संख्या (सुनिश्चित मूल्य की) का उत्तरदायित्व निर्वहन किया होना चाहिए।

ङ. उस सेक्टर में परियोजनाओं के सफल समापन का ट्रैक रिकॉर्ड

3.6.4. चयन हेतु प्रयुक्त मानदंडों में उद्देश्यात्मक तकनीकी/वित्तीय प्राचलक सम्मिलित होंगे, जैसे कि :

क. सेवा का स्तर, प्रस्तावित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता;

ख. व्यवहार्यता अनुदान सहायता का न्यूनतम वर्तमान मूल्य;

ग. भूमि का न्यूनतम परिमाण;

घ. सरकार से परिसंपत्ति आधारित सहायता का न्यूनतम वर्तमान मूल्य

ङ. राजस्व का अधिकतम अंश (अथवा वर्तमान मूल्य)

च. न्यूनतम यूनिट मूल्य अथवा उत्तराखंड सरकार द्वारा भुगतानों का वर्तमान मूल्य;

छ. अधिकतम प्रत्यक्ष भुगतान (अथवा प्रत्यक्ष भुगतानों का वर्तमान मूल्य);

ज. भावी भुगतानों का अधिकतम वर्तमान मूल्य

झ. न्यूनतम रियायत अवधि;

ञ. न्यूनतम यूनिट मूल्य अथवा उपभोक्ता शुल्कों का वर्तमान मूल्य;

ट. प्रस्तावित इक्विटी शेयरों का अधिकतम प्रीमियम (अथवा वर्तमान मूल्य);

ठ. प्रस्तावित धन हेतु सर्वश्रेष्ठ मूल्य।

ड. न्यूनतम वार्षिकी

त. न्यूनतम संशोधित वार्षिकी

3.7 नियामक संरचना

उत्तराखंड सरकार की अवधारणा है कि लोक निजी सहभागिता मॉडल के अधीन अवस्थापना के सृजन में यह अपेक्षित है कि उसमें ऐसी प्रतिस्पर्द्धी सुविधाओं का सृजन नहीं होने का पर्याप्त आश्वासन होना चाहिए, जो परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता को यथार्थतः प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगी। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ऐसी एकाधिपत्यवादी स्थितियों का स्वतंत्र नियंत्रण सुनिश्चित करना भी सरकार का दायित्व होगा ताकि प्रयोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं दोनों के हित दृष्टिगत रखना सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तराखंड सरकार का आशय कुछ अवस्थापना सेक्टरों के लिए पृथक नियामक प्राधिकरण स्थापित करना है। नियामक की भूमिका में प्रवेश तथा निकास के लिए प्रतिमान निर्धारण, शुल्क दर नियतन, सुविधाओं/सेवाओं के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित करना, निजी भागीदारी और सरकारी एजेंसी के बीच राजस्व भागीदारी तय करना, परियोजना अवधि के दौरान निजी भागीदारी के एकपक्षीय निकास से बचने के लिए बैंक गारंटियों, संपार्श्विक अथवा किसी ऐसे दस्तावेज के रूप में निकास अवरोधों का दृढ़ीकरण सम्मिलित होगा।

तथापि, नियामक प्राधिकरणों के गठन का निर्णय प्रत्येक सेक्टर की विशिष्टताओं के आधार पर किया जाएगा और वृहत्त स्तर पर लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के गठन से पूर्व नियामक संरचना का गठन करना उचित होगा।

3.8 संस्थागत व्यवस्था

उत्तराखंड सरकार एक प्रभावी एवं दक्ष संस्थागत तंत्र की आवश्यकता को मान्यता देती है और इसलिए नीति के उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यकता समितियों तथा सशक्त समूहों का गठन करती है।

3.8.1 व्यय वित्त समिति (EFC)

उत्तराखंड सरकार पीपीपी के तहत राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा के लिए मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार की अध्यक्षता में सचिवों के एक समूह से मिलकर व्यय वित्त समिति (ईएफसी) का गठन करेगी। राज्य नोडल अधिकारी पीपीपी, प्रमुख सचिव, नियोजन/सचिव, नियोजन, ईएफसी के सदस्य सचिव होंगे। पैरा 4.1.3 और 4.1.5 में वर्णित सभी पीपीपी परियोजनाओं को ईएफसी की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

3.8.2 ईएफसी की भूमिका

ईएफसी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के विकास, विभिन्न स्रोतों से निजी भागीदारी और वित्त पोषण से संबंधित राज्य सरकार के सभी प्रयासों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी होगी।

3.8.3 ईएफसी की शक्तियां और कार्य

ईएफसी की शक्तियों और कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

(क) पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, अनुमोदन करना और व्यय स्वीकृत एवं प्राधिकृत करना।

(ख) पैरा 4.1.4 और 4.1.5 में उल्लिखित अनुमोदित परियोजनाओं की राज्य मंत्रिमण्डल को संस्तुति करना।

(ग) इस नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य विभागों के प्रयासों का समन्वय करना।

(घ) किसी भी पीपीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निष्पादन, संचालन और प्रबंधन का निरीक्षण, दौरा, समीक्षा और निगरानी करना।

(ड) परियोजना के लिए वांछनीय उपयुक्त नियामक तंत्र, सुगठित शिकायत निवारण तंत्र के गठन हेतु विशेष विधान का अधिनियमन संस्तुत करना।

(च) पीपीपी पहलों को शुरू करने वाले लाइन विभागों को फ्रेमवर्क और दिशानिर्देश जारी करना।

(छ) पीपीपी परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(ज) EFC नीति, विनियामक और किसी भी प्रासंगिक परिवर्तन के लिए संचालक होगी।

(झ) विभागों, निजी क्षेत्र, नागरिकों आदि के बीच पीपीपी पहलों के बारे में जागरूकता का अनुमोदन।

(ट) परियोजना प्रारंभकर्त्ता विभाग के साथ परामर्श से निजी भागीदार के लिए विशिष्ट सेवा स्तरों का अनुमोदन करना तथा निजी भागीदार और परियोजना पहलकर्ता विभाग के बीच सेवा स्तर अनुबन्ध (एसएलए) का सूत्रबद्ध किया जाना सुनिश्चित करना।

(ठ) लोक निजी सहभागिता के अधीन प्रारंभ किए गए परियोजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना तथा वित्तीय एवं भौतिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों के सम्बन्ध में उपलब्धियों का विश्लेषण करना और सुधार उपायों, यदि अपेक्षित हैं का निर्णय करना।

(ड) पीपीपी परियोजनाओं के सफल निष्पादन के लिए विभिन्न स्तरों पर उचित क्षमता निर्माण की पहल सुनिश्चित करना।

(ढ) राज्य में पीपीपी पहल के लिए उचित संचार रणनीतियों का विकास और विकास सुनिश्चित करना।

(ण) सुनिश्चित करना कि पारदर्शिता और उत्तरदायिता के उच्चतम मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त लेखा-परीक्षा तथा अनुश्रवण मानक विकसित और अनुरक्षित किए गए है।

(त) समय-समय पर, इसके विभिन्न विशेषज्ञों/सदस्यों तथा/अथवा समिति के स्टाफ (लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ) के मध्य से कोई समितियाँ/उप-समितियाँ गठित करना और उनको विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपना।

(थ) निजी भागीदारी को अनुबन्ध अवार्ड होने के उपरान्त, व्यय-वित्त समिति PPP सेल के माध्यम से प्रोजेक्ट की प्रगति का अनुश्रवण भी करेगी एवं यह सुनिश्चित करेगी कि निजी पार्टनर ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस रूट के माध्यम से सभी क्लीयरेंस समय पर प्राप्त कर लिए हैं।

3.8.4 लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ एवं तकनीकी सचिवालय

इस नीति के अन्तर्गत सुनिश्चित कार्यों के संचालन में ईएफसी की सहायता नियोजन विभाग एंव उसमें स्थापित पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी।

तकनीकी सचिवालय और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य आधारभूत परियोजना विकास संस्थाओं द्वारा पीपीपी सेल को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

पीपीपी परियोजना से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग आवश्यकतानुसार परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता है। परामर्शदाताओं की नियुक्ति संगत नियमों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेस द्वारा की जाएगी। नियोजन विभाग एवं उसके अधीन स्थापित पीपीपी प्रकोष्ठ पीपीपी परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त करने उन्हें ईएफसी एवं कैबिनेट के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु नोडल एजेंसी होगा।

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ सभी निवेश प्रस्तावों की संवीक्षा तथा मंजूरी प्रदान करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित, निजी निवेश के संभाव्यता अध्ययन हेतु दिशानिर्देश तैयार करने में सहायता, उपयुक्त मानक अधिप्राप्ति प्रलेख और अनुबन्ध प्रारूप तैयार करना और विकासकों की अधिप्राप्ति में सरकार/सरकारी एजेंसियों की सहायता करेगा।

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ, अवस्थापना परियोजनाएं लोक निजी सहभागिता प्रारूप में त्वरित गति से विकसित तथा कार्यान्वित करने में भी सरकार/सरकारी एजेंसियों की सहायता करेगा।

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ राज्य में कार्यरत समस्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अभिसूत्रण, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग में भी उत्तराखण्ड सरकार की सहायता करेगा।

लोक निजी सहभागिता सेल के माध्यम से पी०पी०पी० पॉलिसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक वित्त पोषण बजटीय सहायता के माध्यम से किया जायेगा।

3.8.5 लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ के कार्य

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ के कार्यों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे :

क. स्वामित्व वाले विभाग/एजेंसी के साथ परामर्श से परियोजनाओं को चिन्हित कर, परिकल्पना और एक शेल्फ तैयार करने में सहायता करना।

ख. भिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण परियोजनाएं चिन्हित करने में सहायता करना जिन पर शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

ग. ऐसी परियोजनाएं चिन्हित करने में सहायता करना जहां नेटवर्क विस्तार के महत्वपूर्ण लाभों का दोहन एकीकृत अवस्थापना विकास के लिए किया जा सकता है।

घ. राज्य सरकार द्वारा बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधीयन तथा/अथवा निजी क्षेत्र की सहभागिता द्वारा परियोजना कार्यान्वयन हेतु निधीयन का निर्णय करने हेतु धन का मूल्य सिद्धांत के अधीन परियोजनाओं के मूल्यांकन और आकलन के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श सहायता से आंतरिक मूल्यांकन दिशानिर्देश विकसित करना।

ड़. ऐसी परियोजनाओं का लोक निजी सहभागिता हेतु अनुमोदन के लिए ई0एफ0सी0 को संस्तुत करना।

च. भिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों को पूर्व–संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में स्वयं अथवा परामर्शदाताओं के माध्यम से सहायता करना।

छ. परियोजनाएं विकासकर्ता चयन के चरण तक पहुंचाने के लिए, संबंधित विभाग/एजेंसी के साथ परामर्श से परामर्शदाता की नियुक्ति/चयन करना।

ज. नियोजन विभाग के माध्यम से वीजीएफ तथा ऐसे प्रयोजन हेतु सृजित किसी अन्य निधि को जुटाने हेतु नीति आयोग, भारत सरकार (जीओआई) तथा अन्य निधीयन एजेंसियों जैसे कि विश्व बैंक के साथ अन्योन्य क्रिया करना।

झ. नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधीयन की आवश्यकता संस्तुत करना।

ञ. राज्य में लोक निजी सहभागिता हेतु क्षमता निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह सरकार के विभिन्न स्तरों पर लोक निजी सहभागिता के विषय में आवश्यक दौरे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन/अनुशंसा करेगा।

ट. परियोजना की अपेक्षानुसार उपयुक्त नियामक तंत्र/सुगठित शिकायत निवारण तंत्र की अनुशंसा करना।

ठ. यूआईडीएफ से, परियोजनाओं के विकास, निधीयन के अंतराल के लिए लोक निजी सहभागिता की अपेक्षाओं तथा इस नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य अपेक्षा की अनुशंसा करना।

ड. निधि के सृजन, व्यवस्था और मानीटरिंग हेतु किसी विधान, यदि अपेक्षित है, का अभिसूत्रण और अनुशंसा करना।

ढ. राज्य में लोक निजी सहभागिता हेतु ज्ञान कोष के रूप में कार्य करना।

ण. उत्तराखंड सरकार, अवस्थापना परियोजना विकास और कार्यान्वयन की सुगमता जनमत और स्टेकहोल्डरों की सहभागिता की भूमिका भी स्वीकार करती है। चूंकि परियोजना की व्यवहार्यता अंतिम प्रयोक्ता की लागत पर निर्भर है, अतः "बाजार क्या वहन कर सकता है" का सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जनमत जुटाना और हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करना अवस्थापना परियोजना का अभिन्न अंग है। लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ इस प्रक्रिया की सुगमता व्यवसायिक निकायों, एनजीओ उद्योग संघों तथा उपभोक्ता समूहों का सहयोग प्राप्त करेगा।

त. संस्थागत ढांचे में ऐसे अवरोधों जिनके द्वारा निवेश अवरुद्ध किए जाने की संभावना है को चिन्हित करना तथा उन्हें दूर करने और लोक निजी सहभागिता के माध्यम से अवस्थापना विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना।

थ. अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन चरण में परिवर्तन सुसाध्य बनाना।

द. राज्य में समस्त लोक निजी सहभागिता तथा ईएपी परियोजनाओं हेतु और कार्यान्वयन मानीटरिंग हेतु एक सुगठित मानीटरिंग ढांचा तैयार करना।

ध. लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ, प्रत्येक सेक्टर के लिए तैयार की गई कार्यनीति के आधार पर, उत्तराखंड सरकार के विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श कर राज्य में अवस्थापना विकास हेतु एक मार्ग मानचित्र (रोड मैप) तैयार करेगा।

3.8.6 रेखीय विभागों में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ का सृजन

राज्य लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ के साथ समन्वय हेतु तथा लोक निजी सहभागिता की पहल को आगे बढ़ाने के लिए समस्त रेखीय विभागों/एजेंसियों में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे।

3.8.7 लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ/जिला स्तर समिति का सृजन

उत्तराखंड सरकार जिला स्तर पर एक जिला लोक निजी सहभागिता समिति गठित करेगी, जो लोक निजी सहभागिता के माध्यम से मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने की सुगमता सहित अवस्थापना परियोजनाओं के समन्वय और कार्यान्वयन में सहायता करेगी।

जिला लोक निजी सहभागिता समिति की अध्यक्षता संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। यदि आवश्यक है तो, जिला समिति उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित उपयुक्त पदस्तर के अधिकारियों और राज्य स्तरीय औद्योगिक फोरम द्वारा नामित निजी क्षेत्र के अधिकतम 3 प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी।

4. परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया

4.1 परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया

लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के उपक्रमी प्रशासनिक विभाग को प्रत्याशित/अल्पसूचीकृत निविदाकर्ता से कोई वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करने से पूर्व निम्नलिखित परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगाः

4.1.1 लोक निजी सहभागिता प्रणाली के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रकियाः

इस नीति की धारा–2 में वर्णित चरण–1 की गतिविधियों को पूरा करने के बाद प्रशासनिक विभाग पीपीपी सेल को अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों और चर्चा के लिए प्रस्ताव भेजेगा। जिसके उपरान्त एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (PPR) का मसौदा तैयार किया जाएगा। PPR में विभिन्न व्यय/अध्ययन/परामर्श आदि के बारे में सांकेतिक प्रावधान होंगे, जो कि स्टेज–2 प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होंगे।

तद्‌परान्त प्रशासनिक विभाग सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेगा। इसके अलावा, स्टेज–2 गतिविधियों के लिये प्रशासनिक विभाग अपने सलाहकार सहित स्टेट पीपीपी सेल से समन्वय कर परियोजना सम्बन्धी कार्य करेगा।

जिन प्रशासनिक विभागों के पास उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुलग्नक I-IV के अनुसार पर्याप्त सूचनायें उपलब्ध हो, को इस नीति के चरण–1 की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे चरण–2 की प्रक्रिया का पालन करेंगे।

प्रशासनिक विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त नियम एवं शर्तो के अनुरूप समस्त प्रस्ताव सन्दर्भित किये जायेंगे।

4.1.2 पांच करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं के लिए नियमः

(अ) 5.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं को प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त की अध्यक्षता वाली "वित्त पीपीपी समिति" द्वारा अनुमोदित किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन अथवा प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन द्वारा नामित अपर सचिव स्तर से अन्यून पद के अधिकारी।
- अपर सचिव, वित्त विभाग (सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग)।
- पीपीपी विशेषज्ञ।

- प्रशासकीय विभाग का सचिव
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष

(ब) प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा उपर्युक्त समिति के सम्मुख परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(स) उक्त प्रकिया को पूर्ण करने पर परियोजना प्रस्ताव पर वित्त विभाग का अन्तिम अनुमोदन माना जायेगा। इसके उपरान्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की पृथक से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

4.1.3 प्रशासनिक विभाग द्वारा पाँच करोड़ रुपये से अधिक या 50 करोड़ रू0 से कम की परियोजना लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं के लिए निम्नानुसार गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा:—

(अ) 5.00 करोड़ या उससे अधिक अथवा 50 करोड़ से कम लागत की पी0पी0पी0 परियोजनाओं के लिये मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगे:—

- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त
- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन
- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग
- प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन
- प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य
- प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय
- प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव (विशेष आमंत्री)

4.1.4 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत की पीपीपी परियोजनाओं के लिए, प्रशासनिक विभाग निम्नलिखित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करेगा:

(क) व्यय वित्त समिति (EFC) से वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार।

(ख) EFC की संस्तुति के आधार पर प्रशासनिक विभाग परियोजना प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से कैबिनेट के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) राज्य मंत्रिमंडल द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

4.1.5 परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया का सारांश

क. उत्तराखंड सरकार द्वारा विकसित लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए

लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं की परियोजना लागत (करोड़ रु0)	सैद्धांतिक अनुमोदन	वित्त पीपीपी समिति से अनुमोदन	ईएफसी	राज्य मंत्रिमंडल
5 करोड़ रुपए तक	हां	हां	नहीं	नहीं
5 करोड़ रुपए अथवा अधिक किंतु 50 करोड़ रुपए से कम	हां	नही	हां	नहीं
50 करोड़ रुपए अथवा अधिक	हां	नही	हां	हां

4.1.6 परियोजना लागत की परिभाषाः

इस उददेश्य के लिये 3.1.6A में उल्लिखित परियोजना लागत में में शामिल होगेः–

(क) राजस्व प्रदान करने वाली वाणिज्यिक परियोजनाओं हेतु–
परियोजना लागत में सिविल निर्माण हेतु अनुमानित पूंजी निवेश, उपकरण, फर्नीचर, फिक्सर, वाहन या किसी अन्य उपकरण की खरीद, परियोजना हेतु भौतिक सम्पत्ति की आवश्यकता या परियोजना विकास खर्च, वित्त पोषण और अन्य आकस्मिक शुल्क शामिल होंगे, अथवा

(ख) संचालन एवं रखरखाव परियोजना हेतु–
परियोजना के प्रथम वर्ष में परियोजना संचालन एवं रखरखाव हेतु निजी भागीदार को परियोजना से अर्जित होने वाली अनुमानित राजस्व प्राप्ति की धनराशि परियोजना लागत होगी।

(ग) गैर राजस्व प्रदान करने वाली परियोजनाओं, दक्षता विकास/लागत बचतकारी परियोजना (प्रबन्धन या सेवा अनुबन्ध या अभियान्त्रिकी, प्रदर्शन आधारित संचालन तथा रखरखाव अनुबन्ध और वार्षिकी अथवा संशोधित वर्षवार आधारित अनुबन्ध)–

परियोजना लागत में निम्न लागत/धनराशि शामिल होगीः–

(i) निजी भागीदार द्वारा अनुमानित पूँजीगत निवेश के अन्तर्गत सिविल निर्माण, उपकरणों, फर्नीचर, उपकरण, फर्नीचर, फिक्सर, वाहन या किसी अन्य उपकरण की खरीद, परियोजना हेतु भौतिक सम्पत्ति की आवश्यकता या परियोजना विकास खर्च, वित्त पोषण और अन्य आकस्मिक शुल्क शामिल होंगे, और/अथवा

(ii) सरकार द्वारा रियायत अवधि में निजी भागीदार को अनुमानित वर्तमान राजस्व/पूँजीगत लागत को वार्षिक आधार पर अनुदान के रूप में देय किया जायेगा।

4.2 शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं इत्यादि

क. स्थानीय शहरी निकाय प्रस्तावों पर अपने सम्बन्धित बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा प्रशासकीय विभाग यथा शहरी विकास के माध्यम से अग्रेत्तर अनुमोदन की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव अग्रसारित करेगा, जैसा कि इस नीति के पैरा–4.1 में उल्लिखित किया गया है।

ख. स्थानीय ग्रामीण निकाय प्रस्तावों पर अपने सम्बन्धित बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा प्रशासकीय विभाग यथा पंचायतीराज के माध्यम से अग्रेत्तर अनुमोदन की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव अग्रसारित करेगा, जैसा कि इस नीति के पैरा–4.1 में उल्लिखित किया गया है।

4.3 सरकारी स्वाधिकृत कम्पनियां, संस्थाएं, संयुक्त उद्यम इत्यादि

क. इन स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं को इस नीति में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

4.4 लोक निजी सहभागिता व्यवस्था के अंतर्गत विकसित परियोजनाओं हेतु अनुमोदन प्रक्रिया

चूंकि लोक निजी सहभागिता परियोजना विकास प्रक्रिया एक तकनीकी विषय है तथा इसमें परियोजना संरचना हेतु जटिल मूल्यांकन प्रक्रियाएं अर्न्तनिहित हैं, अतः संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव लोक निजी

सहभागिता परियोजना विकास प्रक्रिया, संवीक्षा और मूल्यांकन का उत्तरदायित्व संभालने के लिए विभागाध्यक्ष और सचिवालय दोनों स्तरों पर आवश्यक तकनीकी और परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञताधारक अधिकारियों को चिन्हित कर सकते हैं।

4.5 डेवलपर्स का अनुमोदन

निविदा प्रकिया के पूर्ण होने के पश्चात प्रशासनिक विभाग द्वारा चयनित अनुदानग्राही के विषय में अंतिम अनुमोदन संबंधित विभागीय मंत्री से प्राप्त किया जाएगा।

4.6 विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) के माध्यम से विकास

एसपीवी का गठन, जैसे और जब इस नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और साकार करना अपेक्षित होगा, किया जाएगा और परियोजना को गति प्रदान करने हेतु विशेष प्रयोजन साधनों में विभिन्न मंजूरी तथा अनुमतियां प्राप्त की जाएंगी।

5. अनुश्रवण, मूल्यांकन और निर्धारण तंत्र

लोक निजी सहभागिता कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये एक सुगठित मानीटरिंग, मूल्यांकन और आकलन ढांचा विकसित तथा उपयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा।

5.1 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ढांचे में रेखीय विभागों से संबंधित प्रत्येक लोक निजी सहभागिता परियोजना के अधीन परियोजना डिजाइन और समय पर कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। नियोजन विभाग के अधीन स्थापित लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ राज्य में समस्त परियोजनाओं के समग्र मानीटरिंग और मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी होगा।

लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं का नियमित पुनरीक्षण और अनुश्रवण किया जाएगा। लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के निष्पादन में लगे सभी विभाग/एजेंसियां नवीनतम विकास के संबंध में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ को सूचना/डेटा उपलब्ध कराएंगे।

इस संबंध में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अधीन निभाई जाने वाली मुख्य भूमिकाओं का उल्लेख नीचे किया गया है :–

5.1.1 परियोजना अनुश्रवण

परियोजना अनुश्रवण के अधीन, लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ और तकनीकी सचिवालय द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिकाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

क. मानक प्रलेखों, प्रपत्रों तथा परियोजना प्लान सांचों के रूप में कार्यक्रम अनुश्रवण साधनों का चिन्हिकरण एवं डिजाइन करना।

ख. विभागों और अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में परियोजना टीमों के लिए क्षमता निर्माण दिशानिर्देशों का सहायता विकास।

ग. व्यक्तिगत परियोजनाओं, पथ विचलनों का वित्तीय और भौतिक अनुश्रवण और समाधान हेतु प्रमुख कार्यवाही क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित करना।

घ. मुख्य परियोजना मापों पर प्रगति रिपोर्ट हेतु प्रक्रिया स्थापना एवं व्यवस्था। इस हेतु लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ढांचा तैयार करने हेतु एक एजेंसी नामांकित करने की आवश्यकता हो सकती है।

ङ. राज्य की लोक निजी सहभागिता पहल के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की समीक्षा/समाप्ति के लिए प्रलेख सुलभ बनाने हेतु प्रक्रिया स्थापना।

5.1.2 परियोजना मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन

परियोजना मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन के अधीन, लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिकाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

क. विभागों और परियोजना मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन के क्षेत्र में परियोजना टीमों के लिए क्षमता निर्माण दिशानिर्देशों का सहायता विकास।

ख. सुनिश्चित करना कि सभी परियोजनाओं हेतु व्यक्तिगत परियोजना मूल्यांकन और प्रभाव आकलन किया गया है।

ग. सहभागी विभागों के लिए, प्रसंग विषयों यथा सेवा स्तर अनुबंध प्रारूपण इत्यादि के रूप में एक परियोजना संदर्भ दिशानिर्देश तैयार एवं प्रसारित करना।

घ. परियोजना मूल्यांकन और प्रभाव आकलन के सरलीकरण के लिये प्रक्रिया निर्धारण, जिसमें परियोजना मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन के निष्पादन हेतु परामर्शदाताओं/संगठनों का नामांकन और डेटा संग्रहण, आधार–रेखांकन और निष्पादन आकलन के लिये तृतीय पक्ष की नियुक्ति सम्मिलित होगी।

6. जोखिम निर्धारण तंत्र

अवांछित घटनाओं में जोखिम की संभावना रहती है, जो परियोजनाओं के उद्देश्यों तथा परिणामों की उपलब्धि को क्षति पहुंचा सकती हैं। एक सुगठित जोखिम आकलन ढांचा स्थापित किया जाएगा जो राज्य लोक निजी सहभागिता पहलों की सहायता जोखिम के पर्याप्त और सामयिक आकलन में करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि जोखिम कम करने के उपयुक्त उपाय किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार समय–समय पर प्रजातीय (जेनेरिक) जोखिमों पर मार्गदर्शन टिप्पणियां जारी करेगी।

7. राज्य द्वारा सहयोग

राज्य सरकार, जहां कहीं अपेक्षित होगा विशिष्ट प्रोत्साहन करने हेतु और शुल्क दर निर्धारण, मूल्य निर्धारण, मध्यस्थता, सुरक्षा एवं प्रचालनात्मक मानकों इत्यादि के लिए तंत्र स्थापित करने हेतु सेक्टर विशिष्ट नीतियां तैयार करेगी। यह अवस्थापना सेक्टरों के मध्य समन्वय और सेक्टर–योजनाओं में सामंजस्य पर भी विचार कर रही है।

राज्य सहायता में निम्न सम्मिलित होंगे :

7.1 प्रशासनिक सहायता

राज्य सरकार राज्य में विकसित सभी अवस्थापना परियोजनाओं को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रस्तुत करेगी, जिसमें सम्मिलित होंगे :–

क. परियोजना हेतु अपेक्षित समस्त राज्य एवं केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करना।

ख. समस्त पुनरूद्धार एवं पुनर्वास गतिविधियां, यदि ऐसा अपेक्षित है, राज्य सरकार की पुनरुद्धार एवं पुनर्वास नीति के अनुसार सुसाध्य बनाना तथा उपयोगिताओं के स्थानांतरण की जहाँ आवश्यकता हो, नीति तैयार करना।

ग. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की व्यवहार्यता संवर्धन हेतु विभिन्न केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं (जैसा कि लागू हो) के अधीन लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।

घ. परियोजना स्थल पर बिजली और पानी की आपूर्ति का प्रावधान सुगम बनाना।

ड़. परियोजना हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण को सुगम बनाना।

7.2 वित्तीय सहायता

परियोजनाओं हेतु निविदा उत्तराखण्ड सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की एजेंसी से आवश्यक वित्तीय सहायता के अधार पर लगाई जा सकती हैं। ऐसी वित्तीय सहायता वार्षिक एक–मुश्त भुगतानों, निष्पादन से जुड़े भुगतानों के रूप में हो सकती है तथा इसका निधीयन उत्तराखण्ड सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की एजेंसी द्वारा किए गए बजटीय आवंटनों से किया जाएगा।

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध व्यवहार्यता अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार भी आकस्मिक अवस्थापना परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने और कार्यान्वियन में सहायता के लिए, खुली निविदा से प्राप्त हुए व्यवहार्यता अंतराल के शेष भाग नकद में अथवा अन्य रियायतों द्वारा अंशदान उपलब्ध करा सकती है।

8. हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण

उपभोक्ता, विकासकर्ताओं, स्थानीय समुदाय और ऋणदाताओं, जिनको सामूहिक रूप से हितधारक कहा जाता है, के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। विभिन्न विचारित तंत्रों में निम्न सम्मिलित होंगे :–

क. स्थानीय समुदायों की हितों की रक्षा करते हुए, परियोजना के सफल और समयबद्ध कार्यान्वयन प्रचालन के लिये पर्याप्त विधायी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान कराना।

ख. उपभोक्ता प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के लिये पर्याप्त विधायी एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना।

ग. समस्त हितधारकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु MCA's का अंगीकरण, अनुकूलन तथा विकास और समस्त परियोजना प्रलेखों में आवश्यक उपबंध समाविष्ट करना।

घ. सेवा मानदंडों, राजस्व धाराओं तथा न्यायसंगत उपभोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण और जहां कहीं लागू हो, उपभोक्ताओं के छूट की व्यवस्था समाविष्ट करते हुए, रियायत अनुबंधों की संरचना करना।

ड़. स्वतंत्र नियंत्रक अपीलीय फोरमों तथा अन्य सुगठित विवाद निस्तारण तंत्र की स्थापना करना।

च. परियोजना अनुमोदन के लिये हितधारक की अपेक्षा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर हितधारक से परामर्श प्राप्त करना।

छ. सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन समय पर सूचना उपलब्ध कराना।

9. नीति की अवधि और समीक्षा

यह नीति इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से लागू होगी तथा भविष्य में नई लोक निजी सहभागिता नीति प्रख्यापित होने तक लागू रहेगी।

इस नीति की समीक्षा, हितधारकों से प्राप्त सुझावों इत्यादि के समालोचनात्मक आकलन के आधार पर की जाएगी तथा आवश्यक एवं वांछनीय विचारित परिवर्तन समाविष्ट किए जाएंगे।

सरकार की अवधारणा है कि अवस्थापना के प्रावधान में लोक निजी सहभागिता के दायरे में विस्तार और संस्थागत कारणों से वर्तमान विधायी संरचना में उपयुक्त परिवर्तनों की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। लोक निजी सहभागिता हेतु विशिष्ट विधायी अवरोधों पर भी, समीक्षा के दौरान विचार किया जाएगा एवं ध्यान दिया जाएगा।

<u>नोट</u> : इस नीति में प्रवृत्त किसी अधिनियम/नियम/उपनियम/विनियम आदि के प्रावधानों के मध्य विरोधाभास होने की स्थिति में संबंधित अधिनियम/नियम/उपनियम/विनियम आदि के प्रावधान प्रभावी होंगे, परन्तु ऐसे प्रावधानों को इस नीति के अनुरूप पीपीपी प्रस्ताव विकसित एवं क्रियान्वित करने में बाधक होने की स्थिति में प्रस्तावक प्रशासकीय विभाग को यथा–आवश्यकता संबंधित अधिनियम/नियम/उपनियम/विनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से छूट प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

आदेश : आदेशित किया गया कि प्रस्ताव उत्तराखंड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा उसकी प्रतियां समस्त सरकारी विभागों, समस्त विभागाध्यक्षों तथा महालेखाकार, उत्तराखंड को अग्रेषित की जाएं।

राज्यपाल के आदेश द्वारा

मेजर योगेन्द्र यादव,
अपर सचिव।